भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2252
07/08/2026 को उत्तरार्थ

विषयः फसल विविधीकरण तथा मानसून के लिए आकस्मिक कार्यनीति

2252 श्री रणदीप सिंह सुरजेवालाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021 से विभिन्न फसल विविधीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार और फसल-वार निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान जल संकटग्रस्त और भूजल स्तर में कमी वाले क्षेत्रों में फसल विविधीकरण के अंतर्गत लाए गए क्षेत्रफल का राज्य-वार और फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू खरीफ मौसम के दौरान सामान्य से कम वर्षा और संभावित मानसून की कमी के पूर्वानुमान के लिए कोई आकस्मिक कार्यनीति तैयार की गई है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू मौसम के लिए फसल योजना, वैकल्पिक फसलों, सूखा-सहिष्णु किस्मों, बुवाई कार्यक्रम और जल प्रबंधन के संबंध में राज्यों और किसानों को जारी की गई परामर्शी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2013-14 से फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को मूल हरित क्रांति के राज्यों हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया रहा है, जिससे जल की अधिक खपत वाली धान की खेती को जल की कम खपत वाली वैकल्पिक फसलों जैसे श्री अन्न, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि की ओर डायवर्ट किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत, वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण एवं मूल्यवर्धन, स्थल-विशिष्ट हस्तक्षेप और जागरूकता सृजन एवं क्षमता निर्माण से संबंधित आकस्मिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, सीडीपी लागू करने वाले तीन राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला-विशिष्ट क्लस्टरों में फसल प्रदर्शनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र क्रमशः 9460 हेक्टेयर, 53723 हेक्टेयर और 61349 हेक्टेयर है।

भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के अंतर्गत मोटे अनाज, श्री अन्न (मिलेट), दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत दलहन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन के अंतर्गत तिलहन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत बागवानी फसलों की खेती की जा रही है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम-डीडीकेवाई) भी अपने हस्तक्षेपों और सम्मिलन नीतियों के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक, देश में श्री अन्न एवं मोटे अनाज के अंतर्गत क्षेत्रफल 241.18 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 272.47 लाख हेक्टेयर हो गया है, तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 288.34 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 308.86 लाख हेक्टेयर हो गया है और बागवानी फसलों के अंतर्गत

क्षेत्रफल 274.76 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 301.51 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि दलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल स्थिर रहा है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएफएसआर), मोदीपुरम के माध्यम से एनएफएसएनएम के तहत पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए "फसल विविधीकरण" पर एक पायलट परियोजना को स्वीकृति दी है, जिसका कुल परिव्यय 1326.60 लाख रुपये है।

(ग) एवं (घ): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों, जिनमें आईसीएआर-केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) शामिल है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय में, मानसून की बदलती स्थिति और कृषि पर अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव की लगातार निगरानी कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने सामान्य से कम वर्षा और मानसून की संभावित कमी के पूर्वानुमान के लिए विभिन्न आकस्मिक कार्यनीतियाँ तैयार की हैं और आगामी खरीफ सीजन के लिए निम्नलिखित परामर्श भी जारी किए हैं:

i. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2026 को राज्य कृषि सचिवों और राहत आयुक्तों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीज, चारा, पेयजल एवं सिंचाई जल, उर्वरक आदि की उपलब्धता और सामान्य तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, मानसून की तैयारियों का आकलन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए दिनांक 17.06.2026 को संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। साथ ही, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिनांक 19 जून 2026 को अल नीनो के संभावित प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की तैयारियों की समीक्षा की। अल नीनो की स्थिति को देखते हुए खरीफ की तैयारियों के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्री ने दिनांक 23.06.2026 को राज्य कृषि मंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है।

ii. वर्षा की स्थिति, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर, फसल की बुवाई प्रगति, इनपुट की उपलब्धता, बाजार की स्थिति और कीट/रोगों के प्रकोप की समीक्षा करने और समय पर हस्तक्षेप करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए), उर्वरक विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) की साप्ताहिक बैठक आयोजित की जा रही है।

iii. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) अल नीनो और अन्य जलवायु कारकों के विकास की निरंतर निगरानी करता है और केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों को नियमित मौसमी/मासिक पूर्वानुमान, विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान और मौसम संबंधी परामर्श जारी करता है। आईएमडी आपदा प्रबंधन अधिकारियों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और अन्य हितधारकों द्वारा तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों में सहायता के लिए दैनिक आधार पर प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान (आईबीएफ) और जोखिम-आधारित चेतावनी जारी करता है, जो अगले 7 दिनों के लिए मान्य होती है।

iv. आईसीएआर-सीआरआईडीए ने 15 राज्यों के साथ समन्वय बैठकें की हैं और सामान्य से कम वर्षा की संभावना वाले राज्यों के परामर्श से 342 जिलों में जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं (डीएसीपी) को अद्यतन किया है। आईसीएआर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की गई हैं।

v. राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में खरीफ फसलों के 192.25 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राज्यों ने 1% बीज अर्थात् 1.74 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में रखे हैं।

vi. फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-सहिष्णु फसल किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल और अन्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया है।

vii. दिनांक 1 से 30 जून, 2026 के दौरान राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 80,67,300 किसानों ने 1,14,567 कार्यक्रमों में भाग लिया। ये कार्यक्रम जल संरक्षण को बढ़ावा देने, कुशल सिंचाई और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए आयोजित किए गए थे। साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत संवेदनशील जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का गहन प्रसार अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

viii. केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के जल के अधिकतम उपयोग के लिए अग्रिम योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने का परामर्श दिया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी जारी योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है।

ix. ग्रामीण विकास विभाग कृषि तालाबों, चेक डैम, नहरों की गाद से निकालने और बोरी बांधों जैसी जल संरचनाओं को पुनरुद्धार करने के लिए विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशिष्ट वर्षा की हर बूंद का संचयन किया जा सके।

x. इसके अतिरिक्त, जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों के रूप में, विभाग विभिन्न देश भर में योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ - ओएस) और अन्य मौजूदा कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है।
